न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 201/2014

भूराराम पुत्र रामकिशन जाति मेघवाल निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट

बनाम

1. मनफूल पुत्र गोविन्दराम जाति बावरी निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956
विरूद्ध आदेश उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 30.01.1984

उपस्थितिः—

श्री शिशपाल शर्मा , अभिभाषक अपीलांट
श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पो.
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 14.11.2017

अपीलांट द्वार यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 30.01.1984 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा रेस्पो. सं01 को चक 7 ए एस के प.न. 196/449 की 24.10 बीघा व 195/449 की 5 बीघा कुल 29.10 बीघा भूमि आवंटित की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 7 ए एस के प.न. 196/449 की 24.10 बीघा व प.न. 195/449 की 15 बीघा कुल 37.10 बीघा भूमि अपीलांट को दिनांक 20.04.1978 को पुख्ता आवंटन होकर कब्जा काश्त में चली आ रहा है जिसका रेस्पो0 को आवंटन नहीं किया जा सकता था। रेस्पो. द्वारा

14/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त भूमि की एक भी किश्त जमा नहीं करवाई है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर आर टी 2006 (1) पेज 576, आर आर डी 1994 पेज 756 की नजीरें पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 31 वर्ष विलम्ब से पेश की है देरी बाबत समुचित कारण अंकित नहीं है इसलिए अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा विवादित भूमि का रेस्पो को उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया गया है जो उचित होने से अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो0 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश करके नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.01.1984 के विरूद्ध दिनांक 26.12.2014 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन राज.नहर योजना एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 30.01.84 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो.

14/6/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

को आवंटित भूमि निरस्त करने का अनुतोष इस आधार पर चाहा है कि यह भूमि पूर्व में अपीलांट को आवंटित थी तथा अपीलांट के कब्जे में ही है। अतः आवंटन निरस्त का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का सार बिन्दु यह है कि विवादित आराजी का दोहरा (Double Allotment) आवंटन होना जाहिर हुआ है किसका आवंटन बहाल योग्य है एवं किसका खारिज योग्य है, विवेचन का विषय है। नियमों की परिधि में पूर्ववर्ती आवंटी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए एवं पश्चातवर्ती आवंटन कब हुआ ? क्यो हुआ ? आदि विचारणीय बिन्दु है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि अपीलांट एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है शासन एवं प्रशासन की नीति रही है कि उसके हितों को संरक्षित किया जाये। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विधायिका द्वारा कानूनों का निर्माण किया है तथा प्रशसन ने भी परिपत्र इत्यादि जारी किये है। अतः अधी.न्यायालय उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखकर सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर